



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15012026-269371  
CG-DL-E-15012026-269371

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 37]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 15, 2026/पौष 25, 1947

No. 37]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 15, 2026/PAUSHA 25, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2026

सं. 07/2026-सीमा शुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 37(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 84 के साथ पठित धारा 157 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, एतद्वारा डाक निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक घोषणा और प्रक्रियान्वयन) विनियम, 2022 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.- (1) इन विनियमों को डाक निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक घोषणा और प्रक्रियान्वयन) संशोधन विनियम, 2026 कहा जाएगा।
- (2) यह शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- डाक निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक घोषणा और प्रसंसकरण) विनियम, 2022 में, मौजूदा प्रपत्र की जगह, ये प्रपत्र प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-



	घोषणा	हाँ/नहीं, जैसा लागू हो
1	मैं/ हम घोषणा करते हैं कि हम एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 16 के तहत अपने निर्यात पर शून्य दर लगाने का इरादा रखते हैं।	
2	मैं/ हम घोषणा करता/करती हूँ कि माल को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम/राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम/संघ राज्य क्षेत्र वस्तु एवं सेवा कर/एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत छूट प्राप्त है।	
3	सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 75 और सीमाशुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क ड्रॉबैक नियम, 2017 के तहत ड्रॉबैक दावा करना चाहता/चाहती हूँ,-	
(क)	मैं/हम घोषणा करता/करती हूँ कि निर्यात किए गए सामान को बनाने में इस्तेमाल किए गए किसी भी इनपुट या इनपुट सेवा के लिए केंद्रीय माल एवं सेवा कर या एकीकृत माल एवं सेवा कर का कोई इनपुट कर क्रेडिट नहीं लिया गया है।	
(ख)	मैं/हम घोषणा करते हैं कि निर्यात किए गए सामान पर चुकाए गए एकीकृत माल एवं सेवा कर का कोई रिफंड दावा नहीं किया जाएगा।	
(ग)	मैं/हम घोषणा करता/करती हूँ कि निर्यात वस्तुओं के विनिर्माण में प्रयुक्त इनपुट या इनपुट सेवाओं पर सेनवैट क्रेडिट को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन आगे नहीं बढ़ाया गया है।	
(घ)	मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि मैंने/हमने बताए गए नियमों में बताई गई शर्तों और उन शर्तों का पालन किया है जिनके तहत ड्रॉबैक दरें लागू हैं।	
4	मैं/हम घोषणा करते हैं कि मैं/हम आरओडीटीईपी (निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट) का दावा करने का इरादा रखता/रखती हूँ,-	
(क)	मैं/हम आरओडीटीईपी स्कीम के तहत दी गई शर्तों, पाबंदियों, छूट और समय-सीमा, और संबंधित अधिसूचना, विनियम आदि सहित नियमों का पालन करने का वादा करता/करती हूँ।	
(ख)	इस निर्यात डाक बिल में किया गया कोई भी दावा किसी भी शुल्क या कर या लेवी के बारे में नहीं है, जिसे आरओडीटीईपी के बाहर किसी दूसरे सिस्टम के तहत छूट दी गई हो, भेजा गया हो या क्रेडिट किया गया हो।	
(ग)	मैं/हम, सीमाशुल्क लेखा परीक्षा विनियम, 2018 में बताए गए तरीके और समय के लिए, लेखा परीक्षा के मकसद से निर्यात किए गए सामान से जुड़े ज़रूरी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने और उपलब्ध कराने का वादा करता/करती हूँ/करते हैं।	
5	मैं/हम घोषणा करता/करती हूँ कि मैं/हम आरओसीटीएन (राज्य और केंद्रीय करों और लेवी की छूट) का दावा करने का इरादा रखता/रखती हूँ,-	
(क)	मैं/हम आरओसीटीएन स्कीम के तहत दी गई शर्तों, पाबंदियों, छूट और समय-सीमा, और संबंधित अधिसूचना, विनियम आदि सहित नियमों का पालन करने का वादा करता/करती हूँ।	
(ख)	इस निर्यात डाक बिल में किया गया कोई भी दावा किसी भी शुल्क या कर या लेवी के संबंध में नहीं है, जिसे	

	आरओसीटीएन के बाहर किसी दूसरे मैकेनिज्म के तहत छूट दी गई हो, भेजा गया हो या क्रेडिट किया गया हो।	
(ग)	मैं/हम, सीमाशुल्क लेखा परीक्षा विनियम, 2018 में बताए गए तरीके और समय के लिए, लेखा परीक्षा के उद्देश्य से निर्यात किए गए सामान से जुड़े ज़रूरी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने और उपलब्ध कराने का वादा करता/करती हूँ/करते हैं।	
6	मैं/हम विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के नियमों का पालन करने का वादा करता/करती हूँ, जिन्हें समय-समय पर बदला गया है, जिसमें भारत से या भारत में विदेशी मुद्रा की वसूली या वापसी शामिल है।	
यह घोषित किया जाता है कि इस निर्यात डाक बिल का विषय सही और सत्य है। निर्यातक या अधिकृत एजेंट द्वारा तारीख और समय पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जमा किए गए निर्यात डाक बिल का डेटा जांच आदेश और रिपोर्ट		
निर्यात का आदेश करें: यह एक सिस्टम जनरेटेड दस्तावेज है और इसके लिए किसी हस्ताक्षर की ज़रूरत नहीं है।		

## फॉर्म पीबीई -IV

## डाक निर्यात बिल – IV

(विनियम 5(1)(ii) देखें)

(अन्य डाक निर्यात के लिए)

(इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाना है)

निर्यात बिल की संख्या और तारीख	विदेशी डाक घर का कोड	निर्यातक का नाम	निर्यातक का पता	आई सी	राज्य का कोड	जीएसटी आईएन या जो लागू हो।	एडी कोड (यदि लागू हो)	अधिकृत एजेंट का विवरण						
								सीमा शुल्क ब्रोकर लाइसेंस संख्या	नाम और पता					
पार्सल का विवरण														
क्रम सं.	प्रेषिती का विवरण		उत्पाद का विवरण				पार्सल का विवरण			पोस्टल ट्रेकिंग संख्या	सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 14 के तहत निर्धारित मूल्य			
	नाम और पता	गंतव्य देश	विवरण	सीटीएच	मात्रा		चालान संख्या और तारीख	वजन			एफबीओ	मुद्रा	विनियम दर	राशि भारतीय रुपये में
					इकाई (यूनिट, लीटर, कि.ग्रा., मीटर, जोड़ा आदि)	संख्या		सकल	निवल					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
कर चालान या वाणिज्यिक चालान का विवरण (जो भी लागू हो)						शुल्क/कर का विवरण								
एचएस कोड	चालान विवरण		कीमत	सीमा शुल्क		जीएसटी विवरण			कुल					
	चालान संख्या	चालान में मद का क्रम		निर्यात शुल्क।	उपकर.	आईजीएसटी	क्षतिपूर्ति	एलयूटी/बॉन्ड	शुल्क	उपकर				

	और तारीख	सं.				(यदि लागू हो)		उपकर (अगर लागू हो)		विवरण (अगर लागू हो)				
				दर	मात्रा	दर	मात्रा	दर	मात्रा	दर	मात्रा			
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

## पार्सल का अतिरिक्त विवरण

(शुल्क ड्रॉबैक/किसी दूसरी निर्यात स्कीम के लिए अतिरिक्त विवरण, अगर निर्यातक ने चुना हो) - :

चालान सं.	चालान में मद क्रम सं.	आरआईटीसी कोड/आईटीसीएचएस कोड	डीबीके क्रम सं.	ड्रॉबैक मात्रा	आईजीएसटी भुगतान स्थिति (हां/नहीं)	मद का अंत उपयोग	स्कीम कोड	अतिरिक्त भाड़ा (बी/एफ/आई/एन)	संविदा की प्रकृति (सीआईएफ/सीएफ/सीआई/एफओबी)	
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

घोषणा		हाँ/नहीं, जैसा लागू हो
1	मैं/ हम घोषणा करते हैं कि हम एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 16 के तहत अपने निर्यात पर शून्य दर लगाने का इरादा रखते हैं।	
2	मैं/ हम घोषणा करता/करती हूँ कि माल को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम/राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम/संघ राज्य क्षेत्र वस्तु एवं सेवा कर/एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत छूट प्राप्त है।	
3	सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 75 और सीमाशुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क ड्रॉबैक नियम, 2017 के तहत ड्रॉबैक दावा करना चाहता/चाहती हूँ,-	

(क)	मैं/हम घोषणा करता/करती हूँ कि निर्यात किए गए सामान को बनाने में इस्तेमाल किए गए किसी भी इनपुट या इनपुट सेवा के लिए केंद्रीय माल एवं सेवा कर या एकीकृत माल एवं सेवा कर का कोई इनपुट कर क्रेडिट नहीं लिया गया है।	
(ख)	मैं/हम घोषणा करते हैं कि निर्यात किए गए सामान पर चुकाए गए एकीकृत माल एवं सेवा कर का कोई रिफंड दावा नहीं किया जाएगा।	
(ग)	मैं/हम घोषणा करता/करती हूँ कि निर्यात वस्तुओं के विनिर्माण में प्रयुक्त इनपुट या इनपुट सेवाओं पर सेनवैट क्रेडिट को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन आगे नहीं बढ़ाया गया है।	
(घ)	मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि मैंने/हमने बताए गए नियमों में बताई गई शर्तों और उन शर्तों का पालन किया है जिनके तहत ड्रॉबैक दरें लागू हैं।	
4	मैं/हम घोषणा करते हैं कि मैं/हम आरओडीटीईपी (निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट) का दावा करने का इरादा रखता/रखती हूँ,-	

(क)	मैं/हम आरओडीटीईपी स्कीम के तहत दी गई शर्तों, पाबंदियों, छूट और समय-सीमा, और संबंधित अधिसूचना, विनियम आदि सहित नियमों का पालन करने का वादा करता/करती हूँ।	
(ख)	इस निर्यात डाक बिल में किया गया कोई भी दावा किसी भी शुल्क या कर या लेवी के बारे में नहीं है, जिसे आरओडीटीईपी के बाहर किसी दूसरे सिस्टम के तहत छूट दी गई हो, भेजा गया हो या क्रेडिट किया गया हो।	
(ग)	मैं/हम, सीमाशुल्क लेखा परीक्षा विनियम, 2018 में बताए गए तरीके और समय के लिए, लेखा परीक्षा के मकसद से निर्यात किए गए सामान से जुड़े ज़रूरी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने और उपलब्ध कराने का वादा करता/करती हूँ/करते हैं।	
5	मैं/हम घोषणा करता/करती हूँ कि मैं/हम आरओसीटीएन (राज्य और केंद्रीय करों और लेवी की छूट) का दावा करने का इरादा रखता/रखती हूँ,-	
(क)	मैं/हम आरओसीटीएन स्कीम के तहत दी गई शर्तों, पाबंदियों, छूट और समय-सीमा, और संबंधित अधिसूचना, विनियम आदि सहित नियमों का पालन करने का वादा करता/करती हूँ।	
(ख)	इस निर्यात डाक बिल में किया गया कोई भी दावा किसी भी शुल्क या कर या लेवी के संबंध में नहीं है, जिसे आरओसीटीएन के बाहर किसी दूसरे मैकेनिज्म के तहत छूट दी गई हो, भेजा गया हो या क्रेडिट किया गया हो।	
(ग)	मैं/हम, सीमाशुल्क लेखा परीक्षा विनियम, 2018 में बताए गए तरीके और समय के लिए, लेखा परीक्षा के उद्देश्य से निर्यात किए गए सामान से जुड़े ज़रूरी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने और उपलब्ध कराने का वादा करता/करती हूँ/करते हैं।	
6	मैं/हम विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के नियमों का पालन करने का वादा करता/करती हूँ, जिन्हें समय-समय पर बदला गया है, जिसमें भारत से या भारत में विदेशी मुद्रा की वसूली या वापसी शामिल है।	

यह घोषित किया जाता है कि इस निर्यात डाक बिल का विषय सही और सत्य है।

निर्यातक या अधिकृत एजेंट द्वारा तारीख और समय पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जमा किए गए निर्यात डाक बिल का डेटा

जांच आदेश और रिपोर्ट

निर्यात का आदेश करें: यह एक सिस्टम जनरेटेड दस्तावेज है और इसके लिए किसी हस्ताक्षर की ज़रूरत नहीं है।

[फा. सं. 476/3/2018-एलसी]

इंद्रजीत पांडा, अवर सचिव

**नोट:-** मुख्य अधिसूचना संख्या 104/2022-सीमा शुल्क (गै.टै.), दिनांक 9 दिसंबर, 2022 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 874 (अ), के तहत दिनांक 10 दिसंबर, 2022 को प्रकाशित की गई थी।



**Additional details of parcel**(Additional information for duty drawback/any other export scheme, if claimed by the exporter):

Invoice No.	Item Serial No. in invoice.	RITC code/ITCHS code.	DBK serial No.	Drawback quantity.	IGST payment status (Yes/NO).	End use of item.	Scheme code.	Add Freight (B/F/I/N).	Nature of contract (CIF/CF/CI/FOB).
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44

Declarations		Yes/No as applicable
1	I/We declare that we intend to zero rate our exports under section 16 of Integrated Goods and Services Tax Act, 2017.	
2	I/We declare that the goods are exempted under Central Goods and Services Tax Act/State Goods and Services Tax Act/Union Territory Goods and Services Tax/Integrated Goods and Services Tax Act, 2017.	
3	I/We declare that I/we intend to claim Drawback under Sec. 75 of Customs Act, 1962 and Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 2017,-	
(a)	I/We declare that no input tax credit of the central goods and Services Tax or of the integrated Goods and Services Tax has been availed for any of the inputs or input services used in the manufacture of the export goods.	
(b)	I/We declare that no refund of Integrated Goods and Service Tax paid on export goods shall be claimed.	
(c)	I/We declare that CENVAT credit on the inputs or input services used in the manufacture of the exports goods has not been carried forward in terms of the Central Goods and Service Tax Act, 2017.	
(d)	I/We certify that I/We have complied with the conditions laid down in the said Rules and the conditions subject to which Drawback Rates are applicable.	
4	I/We declare that I/we intend to claim RoDTEP (Remission of Duties and Taxes on Exported Products),-	
(a)	I/We undertake to abide by the provisions, including conditions, restrictions, exclusions and time-limits as provided under RoDTEP scheme, and relevant notifications, regulations, etc.	
(b)	Any claim made in this Postal Bill of Export is not with respect to any duties or taxes or levies which are exempted or remitted or credited under any other mechanism outside RoDTEP.	
(c)	I/We undertake to preserve and make available relevant documents relating to the exported goods for the purposes of audit in the manner and for the time period prescribed in the Customs Audit Regulations, 2018.	
5	I/We declare that I/we intend to claim RoSCTL (Rebate of State and Central Taxes and Levies),-	
(a)	I/We undertake to abide by the provisions, including conditions, restrictions, exclusions and time-limits as provided under RoSCTL scheme, and relevant notifications, regulations, etc.	
(b)	Any claim made in this Postal Bill of Export is not with respect to any duties or taxes or levies which are exempted or remitted or credited under any other mechanism outside RoSCTL.	
(c)	I/We undertake to preserve and make available relevant documents relating to the exported goods for the purposes of audit in the manner and for the time period prescribed in the Customs Audit Regulations, 2018.	

6	I/We undertake to abide by the provisions of Foreign Exchange Management Act, 1999, as amended from time to time, including realisation or repatriation of foreign exchange to or from India.	
It is hereby declared that the content of this Postal Bill of Export are true and correct.		
Data for Postal Bill of Export submitted electronically on Date and Time by the Exporter or Authorised Agent		
Examination order and report		
Let Export Order: This is a system generated document and No signature is required		

**Form PBE -IV****Postal Bill of Export – IV**

(see regulation 5(1)(ii))

*(For other postal exports)**(To be submitted electronically)*

Bill of Export No. and date.	Foreign Post Office code.	Name of Exporter.	Address of Exporter.	IEC.	State Code.	GSTIN or as applicable.	AD code. (If Applicable)	Details of authorised agent.						
								Customs Broker License No.	Name and address.					
Details of parcel.														
Sl No.	Consignee details.		Product details.				Details of Parcel.		Postal Tracking number.	Assessable value under section 14 of the Customs Act, 1962.				
	Name and Address.	Country of destination.	Description.	CTH.	Quantity.		Invoice No. and date.	Weight			FOB.	Currency.	Exchange Rate.	Amount in INR.
					Unit (pieces, liters, kgs., meters, Pair etc.).	Number.		Gross.	Net.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Details of Tax Invoice or commercial invoice(whichever applicable).				Details of Duty/Tax.											
H.S code.	Invoice details		Value.	Customs duties.				GST details.				Total.			
	Invoice no. and date.	Sl. No of item in invoice.		Export duty.		Cess.		IGST (if applicable).		Compensation cess (If applicable).		LUT/bond details (If applicable).		Duty.	Cess.
				Rate	Amount	Rate	Amount	Rate	Amount	Rate	Amount				
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

**Additional details of parcel**(Additional information for duty drawback/any other Export scheme, if opted by exporter):-

Invoice No.	Item Serial No. in invoice.	RITC code/ITCHS code.	DBK serial No.	Drawback quantity.	IGST payment status (Yes/NO).	End use of item.	Scheme code.	Add Freight (B/F/I/N).	Nature of contract (CIF/CF/CI/FOB).
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

<b>Declarations.</b>		Yes/No as applicable.
1	I/We declare that we intend to zero rate our exports under section 16 of Integrated Goods and Services Tax Act, 2017.	
2	I/We declare that the goods are exempted under Central Goods and Services Tax Act/State Goods and Services Tax Act/Union Territory Goods and Services Tax/Integrated Goods and Services Tax Act.	
3	I/We declare that I/we intend to claim Drawback under Sec. 75 of Customs Act, 1962 and Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 2017,-	
(a)	I/We declare that no input tax credit of the central goods and Services Tax or of the integrated Goods and Services Tax has been availed for any of the inputs or input services used in the manufacture of the export goods.	
(b)	I/We declare that no refund of Integrated Goods and Service Tax paid on export goods shall be claimed.	
(c)	I/We declare that CENVAT credit on the inputs or input services used in the manufacture of the exports goods has not been carried forward in terms of the Central Goods and Service Tax Act, 2017.	
(d)	I/We certify that I/We have complied with the conditions laid down in the said Rules and the conditions subject to which Drawback Rates are applicable.	
4	I/We declare that I/we intend to claim RoDTEP (Remission of Duties and Taxes on Exported Products),-	
(a)	I/We undertake to abide by the provisions, including conditions, restrictions, exclusions and time-limits as provided under RoDTEP scheme, and relevant notifications, regulations, etc.	
(b)	Any claim made in this Postal Bill of Export is not with respect to any duties or taxes or levies which are exempted or remitted or credited under any other mechanism outside RoDTEP.	
(c)	I/We undertake to preserve and make available relevant documents relating to the exported goods for the purposes of audit in the manner and for the time period prescribed in the Customs Audit Regulations, 2018.	
5	I/We declare that I/we intend to claim RoSCTL (Rebate of State and Central Taxes and Levies),-	
(a)	I/We undertake to abide by the provisions, including conditions, restrictions, exclusions and time-limits as provided under RoSCTL scheme, and relevant notifications, regulations, etc.	

(b)	Any claim made in this Postal Bill of Export is not with respect to any duties or taxes or levies which are exempted or remitted or credited under any other mechanism outside RoSCTL.	
(c)	I/We undertake to preserve and make available relevant documents relating to the exported goods for the purposes of audit in the manner and for the time period prescribed in the Customs Audit Regulations, 2018.	
6	I/We undertake to abide by the provisions of Foreign Exchange Management Act, 1999, as amended from time to time, including realisation or repatriation of foreign exchange to or from India.	
<p>It is hereby declared that the content of this Postal Bill of Export are true and correct.</p> <p>Data for Postal Bill of Export submitted electronically on Date and Time by the Exporter or Authorised Agent</p>		
<p>Examination order and report</p> <p>Let Export Order: This is a system generated document and No signature is required</p>		

[F. No. 476/3/2018-LC]

INDRAJIT PANDA, Under Secy.

**Note:** - The principal notification No. 104/2022-Customs (N.T.), dated the 9th December, 2022 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 874.(E), dated the 10th December, 2022.